उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–503–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2021–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020, दि0 23.04.2021

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्याँचल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल,
वि0वि0नि0लि0, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0 (केस्को)
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय : कोविड–19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या–486–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2021–03–ज0श0 एवं प्र0सु0/2020, दिनाँक 12.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) दिनांक 04.06.2020 एवं संख्या–685/2021/ सीएक्स–3 दिनांक 11.04.2021 को संलग्न कर उसमें दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–685/2021/सीएक्स–3 दिनांक 11.04.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** को संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 11.04.2021 में कोविड–19 महामारी के रोकथाम के संबंध में दिए गये दिशा–निर्देश को वितरण निगम के अधीन समस्त कार्यालयों, बिलिंग केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में प्रसारित करायें जाने तथा साथ ही इनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–503(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक–यथोपरि।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

RAX-0522-221-8327/8423 Mail ID – dsmpi01uppcl@gmail.com

2420

संख्याः 685/2021/सीएक्स-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

संख्या 500 ज०श० ... प्रशि०-01/ज०श०प्रशि०/20
पत्रावली संख्या 3 - ज०श० एवं प्र०सु०/2020
क्रम संख्या 36

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज,
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(M. Devaraj)
Chairman

गृह(गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांकः 11 अप्रैल, 2021

विषयः कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कोविड-19 से सम्बन्धित कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्याः 600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26.03.2021 निर्गत किया गया है।

(A) **बंद व खुले स्थानों के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्याः-**

शासनादेश संख्याः 600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26.03.2021 के क्रम में कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नवत होगी:-

(i) किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(ii) खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(डी० के० शुक्ला)
निजी सचिव
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(B) **कोविड-19 से बचाव हेतु प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयो में यथा कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, ब्लाक, पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना आदि एवं औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के सम्बन्ध मे:-**

उक्त विषय में चिकित्सा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:646/पांच-5-2020 दिनांक 07.04.2021 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल स्थापित करते हुए उन कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों/प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(C) **कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशः-**

निदेशक (वाण० प्र० एवं ...)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(संदीप सिंह)
अपर सचिव–प्रथम

(अमरेन्दु)
...सचिव

1546 सी0एक्स0...-1/21

गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या:680/2021-सीएक्स-3 दिनांक 08.04.2021 द्वारा कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु यह निर्देश दिए गए थे कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना केसेस पाए जा रहे है अथवा जहां कुल एक्टिव कोरोना केसेस 500 से अधिक है, ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार कर लिया जाए। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग कर किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी कण्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त की रिपोर्ट प्रतिदिन ICCC (इन्टीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर) के माध्यम से गृह विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(D) उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के विनियम-15 का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध मे:-

उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के विनियम-15 के अन्तर्गत मॉस्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पुलिस कर्मी भी मॉस्क एवं हैण्ड ग्लब्स का अनिवार्य रुप से उपयोग करेंगे।

(E) जनपदों में स्थापित पी0ए0 सिस्टम (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) को क्रियाशील बनाये रखने तथा कोविड-19 से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रभावी कार्यवाही कराने के सम्बन्ध मे:-

कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु जनपदों में पी0ए0 सिस्टम स्थापित किये गये है। उक्त के सम्बन्ध में जनपदों में 06 विभाग (गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज एवं परिवहन विभाग) द्वारा पी0ए0 सिस्टम लगाये गये है साथ ही लगाये गये स्थलों की क्रियाशीलता का अनुश्रवण भी किया जा रहा है। वर्तमान में पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव के साथ-साथ कोविड वैक्सिनेशन की सम्बन्ध में जनजागरूकता के सम्बन्ध में प्रचार प्रसार किये जाने के तथा उक्त प्रयासों को और अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थापित समस्त पी.ए.सिस्टम को तत्काल क्रियाशील कराते हुये यह भी ध्यान रखा जाये कि सभी पी.ए.सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें। साथ ही स्थापित पी.ए.सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सिनेशन की सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार भी कराया जाये। यह भी निदेशित किया जाता है कि जनपदों में स्थापित समस्त स्टेटिक/वाहनों पर लगे तथा क्रियाशील पी.ए.सिस्टम के सम्बन्ध में सूचना जनपदों के इण्ट्रीग्रेटेड कोविड कन्ट्रोल सेण्टर (ICCC) के माध्यम से गृह विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(F) रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध मे:-

रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्ण सतर्कता बरती जानी आवश्यक है। अतः इसके नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, पं0 दीनदयाल नगर, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद एवं अलीगढ़ के सन्दर्भ में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त स्वयं संयुक्त निरीक्षण कर कोविड के संक्रमण को रोकने हेतु की गयी व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रेषित करें। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में आ रही समर स्पेशल ट्रेनों में अत्याधिक यात्री आ रहे है जिसके दृष्टिगत एक समय में ट्रेन के सभी यात्रियों के परीक्षण हेतु पर्याप्त टीमें लगायी जाए। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे सभी जी0आर0पी0 थानों से सूचना संकलित कर गृह विभाग को उपलब्ध कराएं।

(G) **मण्डी/साप्ताहिक मण्डी खुलने व बंद होने के सम्बन्ध मे:-**

स्थानीय मण्डियों को इस प्रकार संचालित किया जाए, जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी स्थानीय मण्डियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने पर भी विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मण्डी में अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाए तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक संचालित किया जाए, जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और उन स्थानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इकाईयों द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी से ही फल, सब्जी आदि नागरिको तक पहुचाने का कार्य किया जाए। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे के बीच में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रुप से करायी जाए। यह अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे के मध्य संयुक्त रुप से यह निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रुप से चलती रहे। निदेशक, मण्डी परिषद सम्बन्धित जिले के मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था करें।

(H) **चीनी मिलों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में फायर टैंकर/फागिंग मशीन से सैनेटाइजेशन, साफ-सफाई एवं फागिंग हेतु दिशा-निर्देश:-**

चीनी मिल गेट एवं क्रय केन्द्रों पर यथा सम्भव हाथ सैनेटाइज करने वाली एवं हाथ धोने वाले मशीनों को संचालित किया जाए तथा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मिल स्तर पर कोविड उपचार हेतु संस्तुत दवाईयों, एम्बुलेंस, पल्स ऑक्सी मीटर एवं पी.पी.ई. किट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चीनी मिल परिसरों, भवनों, प्रवेश द्वार, केन यार्ड, वॉश रुम, कालोनी परिसर को भी प्रतिदिन विसंक्रमित किया जाए एवं फागिंग करवाई जाए।

(I) **कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु होमगार्ड्स, पीआरडी, NCC, NSS (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं सिविल डिफेन्स (नागरिक सुरक्षा विभाग) के टीमों को गठित करने के सम्बन्ध मे:-**

जनपदों में ग्रामवार/मोहल्लावार/वार्डवार कोरोना वैरियर्स की टीमें गठित की जाए, जिनमें होमगार्ड्स, पीआरडी, एन0सी0सी0 (नेशनल कैडेट कोर), एन0एस0एस0 (नेशनल सर्विस स्कीम) एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों/संस्थाओं आदि के वालंटियर्स /कार्यकर्ता रखे जाए। गठित टीम की ग्रामवार/मोहल्लावार/वार्डवार सूची संबंधित थानों में रखी जाए और उनके रजिस्टर बनाए जाए। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, युवा कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों यथा- जिला पूर्ति अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक आदि का सहयोग भी लिया जाए। जनपद स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया जाए। कृपया तदनुसार अपने-अपने जनपदों में ग्रामवार/मोहल्लावार/ वार्डवार कोरोना वारियर्स की टीमें गठित कर अविलम्ब शासन को अवगत कराने का कष्ट करें जिसका अनुश्रवण प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाएगा।

(J) **कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत फायर सर्विस विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में आवश्यकतानुसार सैनेटाइजेशन कार्य किए जाने के सम्बन्ध मे:-**

उक्त विषय में गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्याः 754/छः-पु0-8-2020 दिनांक 03.04.2020 में प्रदेश के 75 जनपदों में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/नगर आयुक्त से समन्वय स्थापित कर सैनेटाइजेशन का कार्य तात्कालिक प्रभाव से प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए गए थे जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे की अग्निशमन विभाग को उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाईपो क्लोलाइड उपलब्ध करायी जाए।

(K) **प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थान के सम्बन्ध मे:-**

प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य दिनांक 30.04.2021 तक बंद रहेगा परंतु जहां परीक्षाए चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत अवश्य सम्पन्न कराई जाएंगी।

प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान दिनांक 30.04.2021 तक बंद रहेंगे। यद्यपि कोचिंग संस्थान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते है।

(L) **कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के सम्बन्ध मे:-**

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो। इस सम्बन्ध में संलग्न निर्देशों का अनुपालन कराया जाए।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
11.04.2021
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश/पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, उ0प्र0।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह

संलग्नक-1

(i) प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।

(ii) जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

(iii) सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस-कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

(iv) कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम(Precaution) सम्बन्धी उपायों के रूप में जन-जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज़ का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।

(v) जहां तक सम्भव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो।

(vi) जूते/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि आवश्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति/परिवार द्वारा स्वंय ही अलग-अलग खांचों/ब्लाक में रखना होगा।

(vii) परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(viii) पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरुक किया जाए।

(ix) परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेंन्सिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(x) सोशल-डिस्टेंन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह अंकित कर दिए जाएँ।

(xi) प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।

(xii) लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे।

(xiii) बैठने के स्थानों को भी सोशल-डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए।

(xiv) वेन्टिलेशन/एयर-कंडीशनरों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रॉस- वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताज़ी हवा (Fresh Air) अन्दर आ सके।

(xv) प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) सभी प्रकार की सभाएं निषिद्ध रहेंगी।

(xvii) संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति-संगीत/गाने बजाये जा सकते हैं; किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी।

(xviii) प्रार्थना-सभाओं हेतु एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट/दरी/चादर आदि लानी चाहिए जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हों।

(xix) धर्म स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र-जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक-दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पूजा कराने वाले समेत कोई भी किसी को किसी रुप में स्पर्श न करें।

(xx) लंगर/सामुदायिक-रसोई(Community Kitchens)/अन्न-दान आदि हेतु भोजन तैयार/ वितरित करते समय शारिरिक-दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।

(xxi) परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय करने होंगे।

(xxii) प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु-रहित करने के उपाय करने होंगे।

(xxiii) परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ करना होगा।

(xxiv) आगुन्तक अपने फेस-कवर/मास्क/ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे, यदि कहीं कोई ऐसी सामग्री रहती है तो उनका उचित निपटान (Disposal) सुनिश्चित करना होगा।

(xxv) परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के मामले मे:-

(a) बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग (isolate) हो जाए।

(b) डॉक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे मास्क/फेस कवर दिया जाए।

(c) तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं0 18001805145 को सूचित किया जाए।

(d) नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी (District RRT/Treating Physician) द्वारा मरीज और उसके सम्पर्कों आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा, तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(e) यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु-रहित किया जाए।